

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या- /2016/XXVII(9)/स्टाम्प-55/2009
देहरादून: दिनांक 30 जून, 2016

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकाहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, शासन की अधिसूचना संख्या-266/XXVII(9)/2013/स्टाम्प-55/2009, दिनांक 02 जुलाई, 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी 01 वर्ष अर्थात् दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 की तारीख तक ₹ 5,00,000.00 (₹ पांच लाख मात्र) तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(श्रीधर बाबू अददाकी)
अपर सचिव।

संख्या-160(1)/2016/XXVII(9)/स्टाम्प-55/2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निर्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप-निदेशक, लिथो प्रेस, रुड़की को हिन्दी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग-9 को उपलब्ध करा दें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(श्रीधर बाबू अददाकी)
अपर सचिव।